न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 23 / 2022

आम जनता ग्राम पिनाच, तहसील फागी, जिला जयपुर जरिये :–

1. नरेन्द्र सिंह उर्फ नीरू सिंह
2. गजेन्द्र सिंह पुत्र रेवत सिंह राजपुत
3. रामजीलाल पुत्र कान्हा गुर्जर
4. बजरंगा पुत्र हजारी मीणा
5. हीरा पुत्र बन्नाराम जाट
6. रामदयाल पुत्र श्रवण गुर्जर
7. बजरंग पुत्र लक्ष्मण गुजर

समस्त निवासी ग्राम पिनाच, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

(अपीलार्थी)

बनाम

1. देवा पुत्र नैहनु जाति मारू भाट, निवासी रेवतपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
2. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मण्डोर, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
3. तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर ।

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 426 दिनांक 08.08.1989 तहसीलदार फागी

उपस्थित :–

1. श्री कृष्ण कुमार लखेरा विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की और से।
2. श्री मगन लाल शर्मा विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3

निर्णय दिनांक :– 04 / 11 / 2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम पिनाच , तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित ख0नं0 696 ग्राम पिनाच में 1 बीघा 10 बिस्वा में अर्सेदराज से मंदिर मूर्ती

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

भूतेश्वर नाथ, शिव भगवान की मूर्ति, ग्रामवासी श्मशान भूमि, चबूतरा पगले मूर्तियाँ स्थित है, इसके अलावा इसी जगह के समीप भौमियाजी का मंदिर, बालाजी का मंदिर तथा राज्य सरकार की निति अनुसार तथा सहयोग से हैडपम्प लगा हुआ है पूर्व में बोरिंग लगा हुआ था। कुऑ मौजूदा स्थिति में अस्तित्व में नहीं है। वादग्रस्त आराजी 1 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण ग्रामवासी पिनाच के सार्वजनिक उपयोग–उपभोग की भूमि हैं। धार्मिक मान्यता की आस्था वालें मंदिर भूमि है। अप्रार्थी देवा पुत्र नैहनू (नैनू) बंजारा है। जो मूल निवासी रेवंतपुरा का नही है व मूल कृषक नहीं है। फिर भी वह पंचायत में अपना नाजायज प्रभाव रखता था चुनाव लडता था व लडवाता था। सरपंच एवं पटवारी हल्का से सांठ–गांठ रखता था। इसी कारण तहसीलदार फागी से आदेश नियम विरूद्ध जाकर मिसल संख्या 26/89 दिनांक 07.08.1989 करवाकर उक्त 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि को गैर मुमकिन चाहा बताकर 25/– रूपये सनद राशि पर नियमित करवाने का अपने नाम आदेश करवा लिया। जबकि चाह किसी भी हालत में 1 बीघा 10 बिस्वा रकबे का नहीं होना माना जा सकता। सार्वजनिक भूमि ग्राम पिनाच के उपयोग–उपभोग की है। धार्मिक स्थल है। सन् 1989 के बाद से फसल हाल सन् 2022 खरीब तक अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने कोई इसकी आड में कब्जा कर काश्त नहीं की न किसी प्रकार से सार्वजनिक उपयोग–उपभोग में बाधा कारित की इसी वजह से प्रश्नाधीन आदेश व आदेश से तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 426 दिनांक 08.08.1989 का ईलम नहीं हुआ ग्राम वासी बदस्तुर उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग सार्वजनिक काम में करते आ रहे है। प्रश्नाधीन आदेश जो नियम विरूद्ध बैजा था उसकी आड में तथा उसके प्रभाव से नामांतरकरण संख्या 426 तहसीलदार फागी से दिनांक 08.08.1989 से अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम तस्दीक करवाकर खातेदार काश्तकार हो गया। जिससे ग्रामवासी अपीलार्थीगण काफी दुखी व प्रभावित है ओर इसलिए प्रश्नाधीन नामांतरकरण संख्या 426 दिनांक 1989 जो पूर्ण रूप से गैर कानूनी एवं विवादित श्रेणी में होने के कारण श्रीमान् के समक्ष सार्वजनिक उपयोगार्थ दृष्टि से, के विरूद्ध अलावा दीगर वजूवात के निम्नलिखित वजूवात के साथ प्रस्तुत की जा रही है। प्रश्नाधीन नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व नामांतरकरण संबंधी प्रकिया तथा कानूनी प्रावधानों का कतई ध्यान नहीं रखा गया। पूर्व बिला नाम चाह का (कुऑ) का नियमितिकरण उपयोग के आधार पर 25/– रूपये सनद फीस लेकर किये जाने के प्रावधान को गलत रूप से इस्तेमाल करके 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का नियमितिकरण/आवंटन करके प्रश्नाधीन नामांतरकरण तस्दीक करने में भारी भूल की है। चाह (कुऑ) किसी भी दृष्टि से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि के रकब का नहीं हो सकता। चाह के लिए भूमि मात्र 1 बिस्वा, 2 बिस्वा ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 696 ग्राम पिनाच में 1 बीघा 10 बिस्वा सार्वजनिक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

उपयोग–उपभोग की रही है। जिसमें मंदिर शिवजी, भौमिया जी, बालाजी, श्मशान, चबूतरा, पगले है दर्शनार्थ काफी लोग आते है। शिवरात्री, अमावस्या पर्व पर सार्वजनिक मेला लगता है। काफी लोग इकट्ठा होते है, रात्री जागरण होते है। नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक नोटिस इश्तिहार जारी नहीं किया गया है न ही ग्राम पंचायत के समस्त सदस्यों को सूचित किया गया। बाला–बाला, चुपचाप में तहसीलदार से सांठ गांठ करके तत्समय गलत आदेश करवाकर प्रश्नाधीन नामांतकरण रेस्पोडेन्ट के हक में करवा लिया। प्रश्नाधीन नामांतरकरण के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त खसरा नम्बर 696 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिसके वर्तमान ख0नं0 696 रकबा 0.3794 गैरमुमकिन चाह को दीगर भूमि के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के यहां अनुचित लाभ उठाने के ईरादे से रहन रख दी। जिसका ईलम भी हाल ही में राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर पता चला है। फसल हाल सन् 2022 खरीफ तक कोई कब्जा काश्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नहीं किया न ही सार्वजनिक उपयोग–उपभोग में ग्रामवासियों ने कोई मना किया न अपना अधिकार जताया प्रश्नाधीन नामांतरकरण भूमि सार्वजनिक उपयोग की है। खरीफ फसल बोने पर ग्रामवासियों को चिंता हुई और ग्रामवासियों ने उसको कहा कि इस पर काश्त नहीं कर सकता क्योंकि यह भूमि ग्रामवासियों की सार्वजनिक आस्था की भूमि है। इस पर वह उग्र हो गया और सार्वजनिक को जो करना है कर लो मैं तो काश्त करूंगा इस पर ग्रामवासियों ने रिकॉर्ड में तलाश की तो बढी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते पटवाल मण्डल मण्डौर से नामांतरकरण की नकल दिनांक 20.09.2022 को मिली जिसके बाद आवश्यक राय मशविरा ग्रामवासी आपस में करने के बाद अपील पेश कर रहे हे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट मंजूर कर प्रश्नाधीन नामांतरकरण सं0 426 दिनांक 08.08.1989 तहसीलदार फागी ग्राम पिनाच निरस्त किया जावें।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मण्डोर के यहॉ रहन है तथा यदि न्यायिक प्रकिया के दौरान राजस्व अभिलेखों में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन किया जाता है तो जब तक बैंक का ऋण चुकता नहीं हो जावें, तब तक राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन नहीं किया जावें। ऋण अदायगी के पश्चात ही परिवर्तन किया जाना प्रार्थनीय है। दिनांक 03.04.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं उपस्थित होकर वादी संख्या 2 के साथ राजीनामा पेश किया । अपीलार्थी (वादी) संख्या 2 की पहचान वकील श्री कृष्ण कुमार लखेरा ने व रेस्पोडेंट संख्या 1 की पहचान वकील श्री मगनलाल शर्मा द्वारा की गई। राजीनामा पक्षकारान को पढकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

सुनाया गया। पक्षकारान ने राजीनामा पढकर, सुनकर, समझकर सही होना स्वीकार किया एवं अपनी सहमति से हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी लगाई गई।

राजीनामा अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 ने खसरा नम्बर 696 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम पिनाच, तहसील फागी का आवंटन दिनांक 07.08.1989 को किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पढा लिखा नहीं है, कुछ लोगों ने यह कहकर कि सरकारी जमीन है जिसका कोई संबंध नहीं है, निर्विवाद है। तुम गरीब आदमी हो परिवार के पालन पोषण के लिए यह जमीन तुम्हें नियमन करवा देंगें। रेस्पोडेन्ट से खाली कागजों पर हस्ताक्षर व अंगूठात निशानी करवा ली। मुझे आराजी खसरा नम्बर 696 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा की मौके की स्थिति का ज्ञान नहीं था। जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जमीन मौके पर देखी तो वहॉ मन्दिर भूतेश्वरनाथ महादेव का बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है, श्मशान भूमि है, चबूतरे पर किसी मृतक के चरण चिन्ह् है, मन्दिर के पास कुछ दूर पर पनहार है पास ही भोमिया जी का मन्दिर है व बालाजी का मन्दिर बना हुआ है व राज्य सरकार द्वारा एक हैडपम्प लगाया हुआ है, जिससे मन्दिर में आने–जाने वाले पानी पिते है व अन्य उपयोग में लेते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पिनाच का रहने वाला नहीं है वरन् वह रेवतपुा , तहसील फागी का रहने वाला है। खसरा नम्बर 696 में कोई कुआ नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 696 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर गैर खातेदारी नामांतरकरण खुआ है जो सही नहीं हैं, क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 न कभी भी न काश्त की, न कभी काबिज रहा, न कभी बाद में मौके पर गया। विवादित जमीन से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई संबंध नहीं है, न कोई हित निहित है, सत्यता यह है कि विवादित स्थल पर आज भी महादेव मन्दिर है, मन्दिर में लोग आते है व धार्मिक कार्य होते है। विवादित जमीन ग्राम पिनाच के आम आदमियों के काम आ रही है। शिवरात्री पर जागरण करते व सेवा पूजा करते है, शिवरात्री, अमावस्या व समय–समय पर विवादित स्थल पर धार्मिक आयोजन होते रहते है। यदि नामान्तरकरण संख्या 426 दिनांक 08.08.1989 निरस्त कर दिया जाए तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है व ग्रामवासियों के लिए शिव भगवान (भूतेश्वर नाथ) के लगाई जावें तो रेस्पोडेंट संख्या 1 को ऐतराज नहीं है। मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 426 दिनांक 08.08.1989 तहसील फागी को निरस्त किए जाने की कृपा करें एवं अमल दरामद हेतु तहसील फागी को लिखा जावें।

3. पत्रावली में उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गई प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र व राजीनामा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित जमीन ग्राम पिनाच के आम आदमियों के काम आ रही है। शिवरात्री पर जागरण करते व सेवा पूजा करते है, शिवरात्री, अमावस्या व समय–समय पर विवादित स्थल पर धार्मिक

आयोजन होते रहते है। यदि नामान्तरकरण संख्या 426 दिनांक 08.08.1989 निरस्त कर दिया जाए तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है व ग्रामवासियों के लिए शिव भगवान (भूतेश्वर नाथ) के लगाई जावें तो रेस्पोडेंट संख्या 1 को ऐतराज नहीं है। मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 426 दिनांक 08.08.1989 तहसील फागी को निरस्त किए जाने की कृपा करें एवं अमल दरामद हेतु तहसील फागी को लिखा जावें। साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील को ही प्रार्थना–पत्र 14(4) मानकर आवंटन व नामान्तरकरण निरस्त की कार्यवाही की जावें। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में राजीनामा अनुसार कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

4. पत्रावली का अवलोकन, मनन करने पर पाया कि नामांतरकरण संख्या 426 दिनांक 08.08.1989, खसरा नम्बर 696 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा ग्राम पिनाच, तहसील फागी का नियमन तहसीलदार फागी के आदेश कमांक आर.ए./189/814 दिनांक 08.08.1989 को शुल्क 25 रूपये जमा कर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया है, जो सही किया गया है। अतः हम नामान्तरकरण संख्या 426 दिनांक 08.08.1989 को निरस्त किया जाना व अपीलाधीन अपील में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही समझते है। यदि आवंटी द्वारा आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो अथवा आवंटी ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो उस प्रकरण में आवंटन निरस्त किये जाने के बाबत विधिक क्षेत्राधिकार के तहत कार्यवाही अपेक्षित की जा सकती है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत कर सकता है।

5. अतः अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 426 दिनांक 08.08.1989 खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

6. निर्णय आज दिनांक 04.11..2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति0 जिला कलक्टर
दूदू